

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 638] No. 638]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 18, 2017/आषाढ़ 27, 1939 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 18, 2017/ASADHA 27, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2017

सं. 3/2017- प्रतिकर उपकर (दर)

सा.का.िन. 892(अ).—माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 की उपधारा (2), के द्वारा प्रदत शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, परिषद की अनुशंसाओं पर, एतदद्वारा, सा.का.िन. संख्या 720 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2017-प्रतिकर उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 में निम्निलिखित संशोधन करती है, अर्थात्

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,—

- (i) क्र. सं. 10 के समक्ष, कॉलम (4) में प्रविष्टि हेतु, "5% + 2076 रु. प्रति हजार" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्र. सं. 11 के समक्ष, कॉलम (4) में प्रविष्टि हेतु, "5% + 3668 रु. प्रति हजार" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्र. सं. 12 के समक्ष, कॉलम (4) में प्रविष्टि हेतु, "5% + 2076 रु. प्रति हजार" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्र. सं. 13 के समक्ष, कॉलम (4) में प्रविष्टि हेतु, "5% + 2747 रु. प्रति हजार" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्र. सं. 14 के समक्ष, कॉलम (4) में प्रविष्टि हेत्, "5% + 3668 रु. प्रति हजार" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्र. सं. 15 के समक्ष, कॉलम (4) में प्रविष्टि हेतु, "36% + 4170 रु. प्रति हजार" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/221/2016-टीआरयू (पार्ट)]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं. 1/2017-प्रतिकर उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. संख्या 720(अ) के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था।

4385 GI/2017 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2017

No. 3/2017-Compensation Cess (Rate)

G.S.R. 892(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017-Compensation Cess (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 720 (E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Schedule,—

- (i) against S. No. 10, for the entry in column (4), the entry "5% + Rs. 2076 per thousand" shall be substituted;
- (ii) against S. No. 11, for the entry in column (4), the entry "5%+ Rs. 3668 per thousand" shall be substituted;
- (iii) against S. No. 12, for the entry in column (4), the entry "5% + Rs. 2076 per thousand" shall be substituted.
- (iv) against S. No. 13, for the entry in column (4), the entry "5% + Rs. 2747 per thousand" shall be substituted:
- (v) against S. No. 14, for the entry in column (4), the entry "5% + Rs. 3668 per thousand" shall be substituted:
- (vi) against S. No. 15, for the entry in column (4), the entry "36% + Rs. 4170 per thousand" shall be substituted.
- 2. This notification shall come into force with effect from the 18th day of July, 2017.

[F. No. 354/221/2016-TRU (Pt.)]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Note: The principal notification No. 1/2017-Compensation Cess (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 720(E).